

## दिनांक 25 फरवरी 2024 को आयोजित आम सभा का कार्यवाही विवरण

विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद की आम सभा दिनांक 25 फरवरी 2024 को प्रातः 11:15 बजे संगम विजयवर्गीय सामुदायिक केंद्र एवं छात्रावास भवन सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर पर परिषद अध्यक्ष श्री नन्दकिशोर विजय की अध्यक्षता में संपन्न हुई का कार्यवाही विवरण ।

आम सभा की कार्यवाही नियत समय 11:15 बजे आरंभ की गई किंतु आमसभा का कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में पूर्व परंपरा अनुसार आमसभा को आधे घंटे के लिए स्थगित की गई। तत्पश्चात आम सभा पुन 11:45 बजे प्रारंभ हुई जिसमें कोरम पूर्ण हो गया । परिषद अध्यक्ष श्री नंदकिशोर विजय ने आमसभा में आए हुए सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अपना अध्यक्षीय अभिभाषण प्रस्तुत किया । तत्पश्चात परिषद महासचिव श्री लोकेश कुमार गुप्ता द्वारा आम सभा की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए आमसभा के एजेंडा बिंदु निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया:

- 1- पिछली आम सभा के कार्यवाही विवरण की पुष्टि ।
  - 2- वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के ऑडिटेड लेखों का अनुमोदन ।
  - 3- प्रस्तावित संविधान संशोधन के संबंध में विचार-विमर्श ।
  - 4- अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।
- उक्त बिंदुओं पर विचार विमर्श कर सर्व समिति से निम्न प्रकार निर्णय लिए गए :-

- 1- पिछली आम सभा के कार्यवाही विवरण की पुष्टि:- परिषद महासचिव द्वारा दिनांक 4 अप्रैल 2021 को हुई परिषद की गत आम सभा के कार्यवाही विवरण को पढ़कर सुनाया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
- 2- वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के ऑडिटेड लेखों का अनुमोदन। :-परिषद के वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के ऑडिटेड लेखों, (बैलेंस शीट, आय व्यय आदि) का अवलोकन करने के पश्चात सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
- 3- - प्रस्तावित संविधान संशोधन के संबंध में विचार-विमर्श:- परिषद के उप नियमों में संशोधन हेतु परिषद महासचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद उपस्थित सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव शामिल करते हुए परिषद के वर्तमान उप नियम प्रावधानों में निम्न प्रकार उनके आगे अंकित विवरण अनुसार संशोधन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया एवं अनुमोदन किया गया।

क्र० सं०	विषय	वर्तमान प्रावधान	अनुमोदित संशोधित प्रावधान
1	नामकरण	परिषद का नाम विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर रहेगा।	परिषद का नाम विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद (संस्था) रहेगा।
2	कार्यालय	इसका कार्यालय जयपुर में "संगम" सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर-26 प्रतापनगर, जयपुर रहेगा।	संस्था का कार्यालय जयपुर में "संगम" विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर-26 प्रतापनगर, जयपुर रहेगा।




निदेशक

Hari Kumar

Signature valid

Digitally signed by Anilabh Diwaker  
Designation: REGIS/RAR  
Date: 2024.02.29 22:40:50 IST  
Reason: Approval  
Location:

3	कार्यक्षेत्र	परिषद का कार्यक्षेत्र राजस्थान होगा।	परिषद का कार्यक्षेत्र राजस्थान होगा, जिसकी शाखाएं राजस्थान प्रान्त के संभागीय स्तर पर गठित की जाकर अध्यक्ष, परिषद द्वारा संभागीय प्रभारी नियुक्त किये जा सकेंगे।
4	उद्देश्य	<p>(क) स्वामीजी श्री रामचरणजी महाराज के आदर्शों व संदेश को जन-जन तक पहुंचाना।</p> <p>(ख) सदस्यों की कार्य-कुशलता में वृद्धि करना एवं सामूहिक हितों की रक्षा करना तथा व्यक्तिगत, औचित्य पूर्ण एवं नियमानुकूल कठिनाईयों के निराकरण का प्रयास करना।</p> <p>(ग) सदस्यों में आपसी मातृभाव, एकता, आत्मसम्मान एवं कार्य के प्रति आस्था को बढ़ावा देना।</p> <p>(घ) सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना।</p> <p>(ङ) सदस्यों की उचित शिकायतों एवं कष्टों को दूर करने के लिये संबंधित अधिकारी एवं सरकार को उचित प्रतिवेदन देना व उनका निराकरण करवाना।</p> <p>(च) सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना के समय उसके आश्रितों की सहायता करना।</p> <p>(छ) समाज के प्रत्येक बन्धु को भाई-चारे एकता के लिये प्रेरित कराना।</p> <p>(ज) समाज के प्रत्येक बन्धु की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं नैतिक उन्नति करना।</p> <p>(झ) समाज द्वारा गठित महासभा व समाज में कार्यरत विभिन्न संगठनों को सहयोग करना।</p> <p>(ञ) समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर समाज सुधार व प्रगतिशील प्रयासों को बढ़ावा देना।</p> <p>(ट) परिषद राजनैतिक क्रियाकलापों से सर्वथा दूर रहते हुये राष्ट्रीय कार्यक्रमों यथा- साक्षरता, परिवार कल्याण, विधवा सहायता, साम्प्रदायिक सदभाव, देश की एकता</p>	विन्दु संख्या (क) से (ड), यथावत


Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker  
Designation: REGIS/RAR  
Date: 2024.02.29 22:40:50 IST  
Reason: Approved  
Location:





		<p>अखण्डता व भाई चारा बढ़ाने के लिये कार्य करेगी।</p> <p>(ठ) परिषद का राज्य स्तर पर विस्तार करना व उसके बाद भविष्य में इसे अखिल भारतीय स्तर पर गठित कर नया स्वरूप प्रदान करना।</p> <p>(ड) परिषद सदस्यों एवं उनके परिवारजन तथा समाज के विधवा महिलाओं एवं जरूरतमन्द व्यक्तियों व प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति, असाध्य रोग तथा देवीय विपत्ति से पीडित व्यक्तियों को परिषद के माध्यम से आर्थिक सहायता दिया जाना।</p>	
5	सदस्यता	<p>परिषद की साधारण सदस्यता हर स्त्री-पुरुष द्वारा ली जा सकेगी जो विजयवर्गीय (वैश्य) समाज का हो और जो अपनी आजीविका के लिये केन्द्र/राज्य सरकार/निगम/बोर्ड/बैंक/बीमा कम्पनी या बहुराष्ट्रीय कम्पनी तथा अन्य संस्थानों में नियमित नियुक्ति में सेवारत राजसेवक एवं सेवानिवृत्त राजसेवक हो।</p>	<p>परिषद की सदस्यता हर स्त्री-पुरुष द्वारा ली जा सकेगी जो विजयवर्गीय (वैश्य) समाज का हो और जो अपनी आजीविका के लिये केन्द्र/राज्य सरकार/निगम/बोर्ड/बैंक/बीमा कम्पनी या बहुराष्ट्रीय कम्पनी में नियमित नियुक्ति में सेवारत राजसेवक एवं सेवानिवृत्त राजसेवक हो। सदस्यता आवेदन पत्र को कार्यकारिणी से अनुमोदन करवाना आवश्यक होगा।</p>
6	सदस्यता शुल्क	<p>(क) परिषद का वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/- रुपये होगा। परिषद की आजीवन सदस्यता राशि 800/- रुपये एक मुश्त होगी। भविष्य में जिसे आमसभा की सहमति से बढ़ाया जा सकेगा। परिषद का सदस्य स्वेच्छा से भी सदस्यता शुल्क के अलावा आर्थिक सहयोग कर सकेगा।</p> <p>(ख) सदस्यता शुल्क अथवा अन्यथा प्रकार से प्राप्त परिषद निधियों का उपयोग परिषद के कार्यालय संचालन, सभा, सम्मेलनों एवं इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जा सकेगा।</p>	<p>(क)-परिषद का प्रत्येक सदस्य आजीवन सदस्य होगा। जिसकी आजीवन सदस्यता शुल्क रुपये 1100/- एक मुश्त होगी। जिसे आमसभा की सहमति से बढ़ाया जा सकेगा। पूर्व में बने आजीवन सदस्यों से अतिरिक्त राशि नहीं ली जावेगी।</p> <p>परिषद का सदस्य स्वेच्छा से सदस्यता शुल्क के अलावा भी आर्थिक सहयोग कर सकेगा।</p> <p>(ख)-यथावत</p>
7	परिषद का स्वरूप एवं कार्य अवधि	<p>क- परिषद में अध्यक्ष का एक पद होगा जिसे नियम 5 के तहत बने सदस्यों में से बनाया जायेगा।</p>	<p>क- परिषद में अध्यक्ष का एक पद होगा जिसे नियम 5 एवं 6</p>

निदेश संख्या 3/22

Mani Ram 4/22

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker  
Designation: REGIS/RAR  
Date: 2024.02.29 22:40:50 IST  
Reason: Approved  
Location:



	<p>ख- अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।</p> <p>ग- अ- परिषद का मुख्य संरक्षक परिषद अध्यक्ष के चुनाव हेतु चुनाव अधिकारी होगा अथवा मुख्य संरक्षक किसी अन्य को चुनाव अधिकारी मनोनीति करने की स्थिति में परिषद कार्यकारिणी को अवगत करायेगा।</p> <p>ब- चुनाव अधिकारी अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अधिकृत होगा।</p> <p>स- अध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के दो माह पूर्व सदस्यता अभियान प्रारम्भ कर अन्तिम सदस्यता सूची (जो मतदाता सूची कहलायेगी) को अध्यक्ष का निर्वाचन कराये जाने हेतु वर्तमान अध्यक्ष एवं महासचिव द्वारा परिषद के मुख्य संरक्षक को सौपी जावेगी।</p> <p>घ- निर्विरोध/विजयी घोषित अध्यक्ष को पन्द्रह दिन में अपनी कार्यकारिणी बिन्दु संख्या 7(ड) के अन्तर्गत घोषित करनी होगी।</p> <p>ड- अध्यक्ष द्वारा अपनी कार्यकारिणी में दो वरिष्ठ उपाध्यक्ष (जिसमें से एक महिला) एक महासचिव एवं एक कोषाध्यक्ष पद के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी अपने स्व-विवके से घोषित करेगा जिसकी संख्या 40 से अधिक नहीं होगी।</p> <p>च- परिषद की कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात परिषद के सलाहकार मण्डल का गठन कर सकेगी, तथा परिषद का निर्वर्तमान अध्यक्ष, सलाहकार मण्डल का स्वतः ही सम्मानित सदस्य माना जावेगा। जिसकी संख्या बिन्दु संख्या 7 (ड) की संख्या में शामिल नहीं होगी। ये कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो सकेंगे किन्तु उन्हें बैठक के दौरान मतदान का अधिकार नहीं होगा।</p>	<p>के तहत बने सदस्यों में से बनाया जायेगा।</p> <p>ख- यथावत</p> <p>ग- अ- परिषद का मुख्य संरक्षक परिषद अध्यक्ष के चुनाव हेतु चुनाव अधिकारी होगा। मुख्य संरक्षक किन्हीं कारणों से चुनाव कराने में असमर्थ होने की स्थिति में परिषद संरक्षक को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर सकेगा। यदि संरक्षक भी किन्हीं कारणों से चुनाव कराने में असमर्थता व्यक्त करता है तो मुख्य संरक्षक परिषद के अन्य वरिष्ठ सदस्य को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर सकेगा। जिसकी सूचना परिषद अध्यक्ष को दी जावेगी।</p> <p>ब- चुनाव अधिकारी अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर नवनिर्वाचित अध्यक्ष को शपथ ग्रहण कराने हेतु अधिकृत होगा।</p> <p>स- अध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के तीन माह पूर्व सदस्यता अभियान प्रारम्भ कर अन्तिम सदस्यता सूची (जो मतदाता सूची कहलायेगी) को अध्यक्ष का निर्वाचन कराये जाने हेतु वर्तमान अध्यक्ष एवं महासचिव द्वारा परिषद के मुख्य संरक्षक को एक माह पूर्व सौपी जावेगी एवं सूची का प्रकाशन परिषद के नोटिसबोर्ड/वाटसएप</p>
--	--	--

*Ravi*

*मिनेर ५ २०२४*

*Nani Ramvi*

Signature valid

Digitally signed by Anilabh Diwaker  
Designation: REGIS/RAR  
Date: 2024.02.29 21:40:50 IST  
Reason: Approved  
Location:





			<p>/वेबसाइट पर किया जावेगा।</p> <p>द- अध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के एक माह पूर्व अन्तिम सदस्यता सूची (जो मतदाता सूची कहलायेगी) मुख्य संरक्षक को नहीं सीपी जाने की स्थिति में मुख्य संरक्षक स्वतः संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।</p> <p>घ- निर्विरोध/विजयी घोषित अध्यक्ष को पन्द्रह दिन में अपनी कार्यकारिणी बिन्दु संख्या 7(ड) के अन्तर्गत घोषित कर कार्यकारिणी पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करानी होगी।</p> <p>ड-यथावत</p> <p>च -परिषद कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा परिषद के सलाहकार मण्डल का गठन किया जावेगा। परिषद के सभी पूर्व अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक, सलाहकार मण्डल एवं कार्यकारिणी के स्वतः ही सम्मानित सदस्य माने जावेगे। जिनकी संख्या बिन्दु संख्या 7 (ड) की संख्या में शामिल नहीं होगी। इन्हे कार्यकारिणी की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल किया जावेगा तथा इन्हे कार्यकारिणी की बैठक में मतदान में भाग लेने का अधिकार होगा।</p>
8	मुख्य संरक्षक का मनोनयन	क- अध्यक्ष द्वारा किसी भी सेवानिवृत्त सदस्य का परिषद के मुख्य संरक्षक पद पर मनोनयन शपथ ग्रहण समारोह के उपस्थिति सदस्यों के अनुमोदन से किया	<p>क-यथावत</p> <p>ख-यथावत</p>

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker  
Designation: REGIS/RAR  
Date: 2024.02.29 21:40:50 IST  
Reason: Approved  
Location:



		जा सकेगा जिसका कार्यकाल बिन्दु संख्या 7 ख के अनुसार होगा। ख- अध्यक्ष द्वारा किसी भी परिषद के वरिष्ठतम सदस्य को संरक्षक पद पर मनोनयन शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित सदस्यों के अनुमोदन से किया जा सकेगा जिसका कार्यकाल बिन्दु संख्या 7 ख के अनुसार होगा।	ग- परिषद का मुख्य संरक्षक एवं संरक्षक परिषद कार्यकारिणी का स्वतः ही सम्मानित सदस्य माना जावेगा। जिसे कार्यकारिणी की बैठक में भी विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल किया जावेगा तथा उसे कार्यकारिणी की बैठक में मतदान में भाग लेने का अधिकार होगा।
9	बैठकें	क- अध्यक्ष की अनुमति से महासचिव द्वारा कार्यकारिणी की दो माह के अन्तर से वर्ष में 6 बैठकें आमन्त्रित की जावेगी। ख- असाधारण बैठक कभी बुलाई जा सकेगी। ग- कार्यकारिणी समिति के 15 पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा लिखित मांग करने पर कार्यकारिणी की बैठक 15 दिन की अवधि में अवश्य आयोजित की जावेगी। घ- कार्यकारिणी समिति की बैठक का गणपूरक, कुल सदस्य संख्या का 1/3 होगा एवं निर्णय बहुमत से होंगे। ङ- संविधान संशोधन भी इस प्रक्रिया से किये जा सकेंगे किन्तु परिषद की आम सभा से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। च- पक्ष विपक्ष के मत बराबर होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। छ- परिषद की आम सभा की बैठक अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से महासचिव द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जावेगी।	बिन्दु संख्या क से छ यथावत
10	कोष	क- परिषद का कोष संविधान में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही उपयोग किया जावेगा। ख- परिषद का कोष "विजयवर्गीय (वैश्य)राज सेवक परिषद" के नाम से बैंक के खाते में रखा जावेगा। ग- बैंक से कोष का संचालन अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा इनमें से दो के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।	क- यथावत ख- परिषद का कोष "विजयवर्गीय (वैश्य)राजसेवक परिषद (संस्था)" के नाम से बैंक के खाते में संचारित किया जायेगा। ग- यथावत



नेकेर सुभाष

Neer Rom 4/1

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker  
Designation: REGIS/RAR  
Date: 2024.02.29 22:40:50 IST  
Reason: Approved  
Location:



11	आमसभा / कार्य कारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य		
	आमसभा	<p>क-परिषद की सर्वोच्च शक्ति आमसभा में निहित होगी।</p> <p>ख-कार्यकारिणी से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर उन पर अनुमोदन करना विधान में संशोधन करना। परिषद की आम सभा का गणपूरक (कोरम) कुल सदस्य के 1/5 होगा। कोरम के अभाव में आम सभा आधे घंटे के लिये स्थगित की जाकर आधे घंटे बाद पुनः आयोजित होगी जिसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी एवं पूर्व निर्धारित एजेन्डा पर विचार कर लिये गये निर्णय वैध होंगे।</p>	<p>क-यथावत</p> <p>ख-कार्यकारिणी से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर उन पर निर्णय करना। विधान में संशोधन करना। परिषद के वित्तीय लेखों का अनुमोदन एवं आगामी वर्ष हेतु बजट स्वीकृत करना। परिषद की आम सभा का गणपूरक (कोरम) कुल सदस्य संख्या के 1/5 होगा। कोरम के अभाव में आम सभा आधे घंटे के लिये स्थगित की जाकर आधे घंटे बाद पुनः आयोजित होगी जिसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी एवं पूर्व निर्धारित एजेन्डा पर विचार कर लिये गये निर्णय वैध होंगे।</p>
	कार्यकारिणी	<p>क-परिषद की समस्त समितियों पर नियंत्रण रखना व उनका मार्गदर्शन करना।</p> <p>ख-परिषद की आमसभा के आदेशों की क्रियान्विति करना।</p> <p>ग-वार्षिक बजट स्वीकार करना व स्वीकृत बजट के अनुसार व्यय करना।</p> <p>घ-जहां अपेक्षित हो जिला शाखा व विभागीय समितियों की गठन की स्वीकृति देना तथा उसका क्षेत्र निर्धारित करना।</p> <p>ङ-कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में परिषद के सदस्यों में से सलाहकार मण्डल का गठन करना।</p> <p>च-नियम उप नियम बनाना तथा समिति व उपसमिति का गठन करना।</p> <p>छ-निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करना व कानूनी सलाहकार के रूप में किसी योग्य वकील की नियुक्ति करना।</p> <p>ज-परिषद के लिये नीति संबंधी निर्णय करना।</p>	<p>बिन्दु संख्या क से घ एवं च, छ, ज, झ, ट यथावत।</p> <p>ड- विलोपित।</p> <p>झ- परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन, आय-व्यय ब्यौरा एवं बजट प्रस्ताव आमसभा के समक्ष प्रस्तुत करना।</p>

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker  
Designation: REGIS/RAR  
Date: 2024.02.29 21:40:50 IST  
Reason: Approved  
Location:





	<p>झ-संविधान में संशोधन हेतु आमसभा के समक्ष प्रस्ताव रखना।</p> <p>ज-परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन व आय-व्यय ब्यौरा महासभा के समक्ष रखना।</p> <p>ट-परिषद द्वारा संचालित "संगम" सामुदायिक भवन एवं छात्रावास के विकास एवं रख-रखाव हेतु स्थाई समिति बनाया जाना।</p>	
अध्यक्ष के अधिकार	<p>क-कार्यकारिणी/आमसभा की बैठकों के आयोजन करने की अनुमति देना व कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करना।</p> <p>ख-आवश्यकतानुसार कभी भी कार्यकारिणी की बैठक बुला सकेगा।</p> <p>ग-परिषद की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।</p> <p>घ-आपातकालीन स्थिति में कार्यकारिणी समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाली शक्तियों का उपयोग करना जो वैधानिक मानी जायेगी। किन्तु इस प्रकार के निर्णयों को कार्यकारिणी की आगामी बैठक में सम्पुष्टि हेतु रखना अनिवार्य होगा।</p> <p>ड-विवाद ग्रस्त मामलों में समान मत आने पर अपना निर्णय देना।</p> <p>च-कार्यकारिणी के 15 सदस्यों द्वारा लिखित मांग करने पर नियमित अवधि में महासचिव को बैठक बुलाने का निर्देश देना अथवा स्वयं बैठक बुलाने की कार्यवाही करना।</p> <p>छ-कार्यकारिणी की समस्त कार्यवाही की पुष्टि कर हस्ताक्षर करना।</p> <p>ज-अनुपयुक्त सदस्य को कार्यकारिणी से निष्कासन का उसे पूर्ण अधिकार होगा।</p> <p>झ-माह में एक बार आय-व्यय को देखकर केश बुक में हस्ताक्षर करेगा।</p> <p>ञ-कार्यकारिणी के समस्त कार्यों के लिये अध्यक्ष उत्तरदायी होगा।</p>	क से ज यथावत
उपाध्यक्ष के अधिकार	<p>क-अध्यक्ष को कार्य संचालन में सहयोग देना।</p> <p>ख-अध्यक्ष द्वारा त्याग-पत्र देने अथवा अन्य प्रकार से पद रिक्त होने पर नये चुनाव होने पर वरिष्ठतम</p>	क से ग यथावत

*Ran*

*सचिव*

*Mani Ram Vij*

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker  
Designation: REGIS/RAR  
Date: 2024.02.29 22:40:50 IST  
Reason: Approved  
Location:





	उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य सम्पादित करेगा बर्षत नियुचित का कार्यकाल छः माह से अधिक न हो। ग-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी बैठकों की अध्यक्षता करना।	
महासचिव के अधिकार/कर्तव्य	क-संयोजक की पूर्व अनुमति से सभी प्रकार की बैठकों को बुलायेगा और उसका संचालन करेगा। ख-सभी प्रकार की बैठकों का कार्यवाही विवरण तैयार करना, सदस्यों को भेजना और अगली बैठक में पढकर कार्यकारिणी की पुष्टि प्राप्त करना। ग-कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव व निर्णयों को क्रियान्वित करने की कार्यवाही करेगा। घ-परिषद का महासचिव आमसभा का भी मंत्री होगा। ङ-परिषद द्वारा की गई उपलब्धियों, सदस्यों के हित में किये गये कार्य एवं महत्वपूर्ण विन्दुओं को समाज की पत्रिकाओं व समाचार पत्रों द्वारा प्रचारित करेगा। च-सदस्यों को पत्र के माध्यम से प्रचार प्रसार कर परिषद का सदस्य बनाना व उनकी शिकायतें दूर करना। छ-बैठक, अधिवेशन व अन्य समारोह के माध्यम से संगठन की समस्त प्रकार की प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करना।	क-अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से सभी प्रकार की बैठकों को बुलायेगा और उसका संचालन करेगा।  विन्दु संख्या ख से छ यथावत
कोषाध्यक्ष	क-कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेगा। ख-वार्षिक बजट तैयार करना और उसे कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना। ग-कोष संबंधी समस्त प्रकार का आय-व्ययक नियमानुसार दैनिक हिसाब रखना। घ-माह में एक दिन केश बुक में अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराना। ङ-आय-व्ययक विवरण वार्षिक रिपोर्ट के लिये प्रस्तुत करना। च-अधिकतम 1000/- रुपये अपने पास रखेगा व इससे अधिक राशि सीधे बैंक में जमा करायेगा।	क से ङ यथावत  च-कार्यालय उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार अपने पास नगद राशि रखेगा जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 5000/- होगी। व इससे अधिक राशि एक माह में सीधे बैंक में जमा करायेगा।
सदस्य आमसभा	क-परिषद का प्रत्येक सदस्य सम्मानीय सदस्य समझा जावेगा।	क से घ यथावत

*Ran*

*मि. के. र. सु. 2023/24*

*Mani Ram Vign*

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker  
Designation: REGIS/RAR  
Date: 2024.02.29 22:40:50 IST  
Reason: Approved  
Location:



		<p>ख-बैठकों/अधिवेशन/सम्मेलनों में उपस्थित होकर उनमें लिये जाने वाले निर्णयों में अपना मत देना।</p> <p>ग-आमसभा के सदस्य कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों व निर्णयों की कियान्विति करने में पूर्ण सहयोग देना।</p> <p>घ-प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से संयुक्त रूप से आमसभा के प्रति उत्तरदायी होगा।</p> <p>ड-परिषद के प्रत्येक सदस्य को होली मिलन समारोह से पूर्व प्रति वर्ष अपना सदस्यता शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा वह चुनाव लड़ने/मतदान के अधिकार से पूर्ण वंचित रहेगा।</p>	ड- विलोपित
12	प्रथम कार्यकारिणी	<p>क-विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवकों को आमसभा दिनांक 14-03-04 में नियुक्त संयोजक और सह-संयोजक ही इस संविधान के तहत प्रथम कार्यकारिणी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे।</p> <p>ख-प्रथम कार्यकारिणी का कार्यकाल उसके गठन के पश्चात आने वाले दूसरे होली मिलन समारोह के पूर्व तक रहेगा।</p>	क-ख- पूर्ण विलोपित
13	अविश्वास प्रस्ताव	<p>क-अध्यक्ष के विरुद्ध वे ही मतदाता अविश्वास प्रस्ताव रख सकेंगे जो कि महासभा के सदस्य होंगे।</p> <p>ख-अविश्वास प्रस्ताव 1/2 मतदाता के हस्ताक्षरों से प्रस्तुत किया जा सकेगा। निर्णय 2/3 मतों पर ही पारित होगा।</p>	<p>क- अध्यक्ष के विरुद्ध वे ही मतदाता अविश्वास प्रस्ताव रख सकेंगे जो कि परिषद के आजीवन सदस्य होंगे।</p> <p>ख- अविश्वास प्रस्ताव 1/2 आजीवन सदस्यों के हस्ताक्षरों से प्रस्तुत किया जा सकेगा। निर्णय 2/3 मतों पर ही पारित होगा।</p>
14	त्याग-पत्र	<p>क-अध्यक्ष पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के त्याग पत्र स्वीकार कर नये सदस्यों का मनोनयन कर सकेगा।</p> <p>ख-अध्यक्ष का त्याग पत्र मुख्य संरक्षक द्वारा स्वीकार किया जावेगा।</p>	क से ख यथावत
15	आडिट	क-परिषद के लेखों का आडिट वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से होगा।	क- परिषद के लेखों का आडिट वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से अंकेक्षण सानिधि (चार्टर्ड

*Ran*

*मिनि २२-३-२०२४*

*Mani Romly*

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker  
Designation: REGISTRAR  
Date: 2024.02.29 22:40:50 IST  
Reason: Approved  
Location:





		<p>ख-आवश्यक होने पर अंकेक्षण सानिधि (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) लेखाकार से कराया जा सकेगा।</p> <p>ग-कोष संबंधी रिकोर्ड तैयार कराने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होगी।</p> <p>घ-आडिट रिपोर्ट को कार्यकारिणी/महासभा के समक्ष रखना होगा व इसका प्रकाशन पत्र के माध्यम से करना होगा। परिषद का सम्मेलन (दीपावली मिलन समोराह जो कि दीपावली के 15 दिवस में आयोजित किया जावेगा), के अवसर पर प्रकाशित होने वाली स्मारिका आदि में इसका प्रकाशन किया जावेगा।</p>	<p>एकाउन्टेन्ट)से कराना आवश्यक होगा।</p> <p>ख- विलोपित</p> <p>ग- यथावत</p> <p>घ- आडिट रिपोर्ट कार्यकारिणी के अनुमोदन पश्चात उसे परिषद की आमसभा में रखना होगा।</p>
16	अनुशासनहीनता एवं उस पर कार्यवाही	<p>क-प्रत्येक सदस्य को सर्वंधान के अन्तर्गत संगठन के प्रति अनुशासनबद्ध रहना आवश्यक होगा।</p> <p>ख-विधान के प्रतिकूल आचारण करने अथवा परिषद को आर्थिक या अन्य प्रकार से हानि पहुंचाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार का कार्य, गलत विचार, भाषण, पेम्पलेट एवं अन्य विघटनात्मक कार्य, संघीय राशि का गबन या दुरुपयोग अनुशासनहीनता की परिभाषा में आता है।</p> <p>ग-किसी सदस्य/पदाधिकारी के अनुशासनहीनता के कारण कार्यकारिणी अथवा उसकी सदस्यता से निलम्बित/निष्कासन/पदमुक्त किया जा सकेगा।</p> <p>घ-निष्कासन का सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष को होगा जिसकी कार्यकारिणी से पुष्टि प्राप्त कर, प्रस्ताव को मुख्य संरक्षक के पास अनुमोदन हेतु भिजवायेगा। इस पर मुख्य संरक्षक उसको सुनवाई का मौका यदि वे देना उचित समझे तो देकर पन्द्रह दिन में अपना स्पष्टीकरण देने को कहेंगे तत्पश्चात (मुख्य संरक्षक) उसकी सदस्यता समाप्ति की घोषणा करेंगे तब सदस्यता समाप्त समझी जावेगी। यदि मुख्य संरक्षक को निलम्बित सदस्य का स्पष्टीकरण संतोष जनक लगेगा तो वे उसका निलम्बन समाप्त</p>	<p>क- यथावत</p> <p>ख- यथावत</p> <p>ग- किसी सदस्य/पदाधिकारी के अनुशासनहीनता आचरण की जानकारी आने पर अध्यक्ष द्वारा उस पर स्वतः संज्ञान लेकर उसे कार्यकारिणी अथवा उसकी सदस्यता से निलम्बित/निष्कासन/पदमुक्त किया जा सकेगा।</p> <p>घ- यथावत</p> <p>ड- यथावत</p>



मिहिर कुमार

Hari Ram Singh

Signature valid

Digitally signed by Anilabh Diwaker  
Designation: REGIS/RAR  
Date: 2024.02.29 21:40:50 IST  
Reason: Approved  
Location:



		घोषित कर देंगे और वह सदस्य अपने पूर्वानुसार पदधारित करता रहेगा। ड-जिस सदस्य की बाबत कार्यकारिणी की बैठक में अनुसानीक कार्यवाही का मामला रखा जाता है और यदि वह उसमें उपस्थित है तो उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अपने समर्थन में बोलने का मौका उसी कार्यकारिणी की बैठक में दिया जावेगा।	
17	न्यायिक क्षेत्र	क-परिषद के समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र जयपुर रहेगा। ख-किसी भी सदस्य/पदाधिकारी/संरक्षक/सलाहकार/अध्यक्ष को परिषद के किसी भी कार्यकलाप को किसी भी न्यायालय में चुनौती देने का हक नहीं होगा। यानि परिषद के किसी भी कार्य/निर्णय को लेकर कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। यदि परिषद के किसी सदस्य को कार्यकारिणी द्वारा लिये गये किसी निर्णय से शिकायत है या वह उससे सहमत नहीं हो तो वह इसके संबंध में मुख्य संरक्षक, से लिखित में इस निर्णय में परिवर्तन हेतु आग्रह कर सकेगा। मुख्य संरक्षक इसे कार्यकारिणी को पुनः विचार हेतु भिजवा सकेगा लेकिन अन्तिम निर्णय कार्यकारिणी का होगा।	क-ख यथावत
18	उच्च अधिकार प्राप्त समिति	नया प्रस्ताव	वर्तमान अध्यक्ष द्वारा यदि संस्था के हितों के विपरीत कार्य यथा- समय पर आमसभा आयोजित नहीं करने व समय पर चुनाव नहीं कराने तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता, की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति जिसका गठन निम्न प्रकार से होगा द्वारा की जावेगी- 1- वर्तमान मुख्य संरक्षक 2- वर्तमान संरक्षक 3- समस्त पूर्व अध्यक्ष 4-समस्त पूर्व मुख्य संरक्षक एवं संरक्षक

*Ran*

मे.मे.२२ ३२२३५६

*Mani Ram 1/1*

Signature valid

Digitally signed by Anilabh Diwaker  
Designation: REGIS/RAR  
Date: 2024.02.29 22:40:50 IST  
Reason: Approved  
Location:







			<p>कम से कम 51 परिषद के आजीवन सदस्यों द्वारा लिखित प्रतिवेदन उच्च अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्राप्त होने पर यह समिति आवश्यक रूप से एक माह की अवधि में आमसभा आहूत करेगी। जिसमें विवादास्पद मामलों को एजेन्डा के रूप में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।</p> <p>उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आहूत की गई आमसभा की अध्यक्षता परिषद के मुख्यसंरक्षक द्वारा की जावेगी।</p> <p>इस समिति द्वारा बहुमत से लिये गये सभी निर्णय आवश्यक रूप से मान्य होंगे जिसे किसी प्रकार की चुनौती कहीं भी नहीं दी जा सकेगी।</p>
--	--	--	---

4. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से..... बैठक में श्री उमानंद विजय सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया की परिषद के ऐसे सदस्य जो दो टर्म में अध्यक्ष रह चुके हैं उन्हें अध्यक्ष के चुनाव हेतु अयोग्य करने का प्रावधान उप नियमों में किया जावे ताकि अन्य लोगो को अवसर मिले। इस बिंदु पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के पश्चात परिषद अध्यक्ष ने स्पष्ट किया गया कि यह प्रावधान नियमानुसार उचित नहीं है। एवं किसी भी सदस्य को उसके चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकार का उप नियमों में संशोधन किया जाना उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय के विचारों का उपस्थित सभी अन्य सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।

अंत में आम सभा की बैठक महासचिव के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुई

  
(नन्द किशोर विजय)  
अध्यक्ष

  
(लोकेश कुमार गुप्ता)  
सचिव

  
(हरीराम विजय)  
कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker  
Designation: REGISTRAR  
Date: 2024.02.29 21:40:50 IST  
Reason: Approved  
Location:

